NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

TIMES OF INDIA, Bhopal, 8.7.2025
Page No. 4, Size:(9.08)cms X (20.44)cms.

MP HC seeks data on action against private hosps violating rules

Times News Network

Bhopal: A division bench of the Madhya Pradesh high court on Monday asked the state govt about the steps taken against private hospitals operating in contravention of rules.

The bench of Justice Sanjeev Sachdeva and Justice Vinay Saraf further asked the state govt to hand over the inquiry report of a high-level committee into the fire incident at a private hospital in Jabalpur, in which eight persons were killed.

The court also asked the state govt to respond to a questionnaire prepared by the petitioners in the case within two weeks.

President of the Law Students' Union, Vishal Baghel, in a public interest litigation (PIL) filed in 2022, said that several hospitals were given permission to operate during the Corona pandemic in contravention of rules. The norms regarding the observance of the National Building Code, fire safety, building completion certificate, and provision of a six-metre open space for the fire brigade in the event of a fire and parking space were disregarded while giving permission to private hospitals to operate.

During the pendency of the petition, eight persons were killed in a major fire incident at New Life Hospital in August 2022. A high-level committee constituted by the state govt to probe the incident held local officials of the health department responsible for allowing the hospital to run without the provision of requisite facilities, but no action followed against them. The court has now asked the state govt to inform the court about the action taken against the hospitals operating in contravention of rules and to hand over the probe report to the police for perusal.

Fake doctor case: Cancel hosp licence, NHRC tells MP govt

The National Human Rights Commission (NHRC) on Monday said that it has found several irregularities in the case of a fake doctor working as a Cardiologist at Mission Hospital in Madhya Pradesh's Damoh.

The commission also stated that after conducting a probe into the matter, it has made several recommendations to the Madhya Pradesh government and has sought a report within four weeks. It has further recommended that the Madhya Pradesh govt shall pay Rs 10 lakh each as relief to the next of kin of all seven patients who died following treatment by the fake Cardiologist at this hospital. AGENCIES

Aid for victims of fake doctor

OUR BUREAU

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) on Monday asked the Madhya Pradesh government to award ₹10 lakh each as relief to families of seven persons who died because of treatment given to them by a fake cardiologist at Mission Hospital, Damoh.

The NHRC passed the order, along with other directives, following an inquiry conducted by it that found several irregularities in the case.

It has made several recommendations to the Madhya Pradesh government and the Centre, seeking action-taken reports within four weeks. The commission registered the case based on a complaint filed on March 28.

The commission said it had recommended that the state, through its chief secretary, pay ₹10 lakh each to the next of kin of all seven patients who died following treatment by the fake cardiologist.

The commission has also recommended cancelling the licence of the hospital until the final disposal of the matter, issuing directions to officials to inspect all cath labs in Madhya Pradesh. The state government will also have to issue directives to verify whether all the doctors are qualified to work in the cath labs.

It recommended that the secretary in the Union ministry of health and family welfare should get a verification done on cath labs across the country and issue directives to the states to ensure the implementation of the Centre's Ayushman Bharat scheme.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

SENTINEL, Guwahati, 8.7.2025
Page No. 6, Size:(26.51)cms X (15.98)cms.

Meghalaya seeks NHRC support to establish NCB sub-zonal office in Shillong

CORRESPONDENT

SHILLONG, July 7: A high-level meeting chaired by the Deputy Chief Minister in charge of Home (Police), and attended by the National Human Rights Commission (NHRC) Special Monitor and former BSF Director General Rakesh Asthana, marked a significant step in Meghalaya's fight against drug trafficking. Also present was the Minister in charge of Social Welfare, Paul Lyngdoh, who highlighted key concerns, ongoing initiatives, and urgent appeals presented to the visiting official.

"We just had a very important meeting led by the Deputy Chief Minister (Home-Police), in the presence of the NHRC's Special Monitor, Rakesh Asthana, who is also a former Director General of the BSF and had headed the Narcotics Control Bureau (NCB). He is on a three-day visit to Meghalaya to assess the drug trafficking situation in the state," said Lyngdoh.

He further stated, "We briefed the NHRC Special Monitor on the various initiatives undertaken by the state government. I'm happy to share that he was very appreciative of our efforts. He specifically lauded the Dream Project, which is a community-based initiative involving educational institutions and faith-based organisations."

Lyngdoh underlined Meghalaya's strategic vulnerability as it lies within a major drug trafficking corridor. "One of the key issues discussed was Meghalaya's proximity to the Golden Triangle in Myanmar, a major global drug supply zone. Unlike states like Punjab, where the supply is often local, in our case, drugs come in from outside the state, which poses a serious threat," he said.

He added that more exhaustive discussions on the matter will take place tomorrow. "Today's meeting laid the groundwork, but a more detailed discussion will be held tomorrow."

The meeting was attended by senior officials from the Home Police Department, including the Director General of Police, officers from the Social Welfare Department, Additional Chief Secretary, representatives from the Law Department, and officials involved with the Dream Mission.

One of the key proposals put forward was the establishment of a dedicated NCB sub-zonal office in Shillong. "We urged the NHRC to intervene and push for the creation of an NCB sub-zonal office in Shillong, which would significantly strengthen enforcement in the region," Lyngdoh stated.

He also raised the issue of a pending Central government-funded proposal for the procurement of vehicle scanners. "We informed the visiting NHRC official about our proposal for acquiring vehicle scanners funded by the Government of India. Although the proposal has already been submitted to the Union Ministry, there has been an undue delay in its approval," he said.

The state has initially requested two such scanners, and Lyngdoh confirmed that the NHRC's Special Monitor assured his intervention. These scanners are intended for use at two key entry points in the Ri Bhoi district, with the DGP tasked with following up on the matter.

On the legal front, Lyngdoh stressed the need to strengthen provisions under the PIT-NDPS Act. "We also discussed the PIT-NDPS Act, which includes provisions for preventive detention. We proposed that the detention period be extended to three years. Currently, four individuals are already under preventive detention, and twelve more cases are under active consideration."

The follow-up discussions scheduled for July 8 are expected to result in concrete steps toward strengthening Meghalaya's anti-narcotics efforts.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Jodhpur, 8.7.2025
Page No. 5, Size:(24.34)cms X (16.89)cms.

सरदारपुरा गर्ल्स स्कूल • निरीक्षण करने पहुंचे थे गोयल, शौचालय में भी गंदगी मिली

स्कूल के फर्स्ट एड बॉक्स में कीड़े और एक्सपायर दवा मिली, मानवाधिकार आयोग मॉनिटर नाराज

एजुकेशन रिपोर्टर | जोधपुर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने सोमवार को राबाउमावि सरदारपुरा का औचक निरीक्षण किया। यहां उन्हें फर्स्ट ऐड बॉक्स में कीड़े और एक्सपायर दवाएं मिली। सोमवार को जोधपुर प्रवास के दौरान स्कूल निरीक्षण में कई मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी, सफाई व्यवस्था की लापरवाही, संसाधनों की दयनीय स्थिति एवं सुरक्षा उपायों की स्पष्ट अनुपस्थिति पाई गई, जिस पर गोयल ने गहरी नाराजगी प्रकट की।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विद्यालय में शौचालयों की स्थिति अत्यंत अस्वच्छ थी, जिनका नियमित साफ-सफाई नहीं हो रहा था। पीने के पानी की व्यवस्था भी बालिकाओं की आवश्यकता के अनुरूप नहीं पाई गई। मध्यान्ह भोजन योजना में स्वच्छता मानकों की भी अनदेखी स्पष्ट रूप से देखी गई। इस पर गोयल ने विद्यालय प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देशित किया कि स्वच्छता व्यवस्था को युद्धस्तर पर दुरुस्त किया जाए तथा सभी जल स्रोतों की गुणवत्ता की तुरंत जांच कराई जाए। इस मौके पर डीईओ माशि ओमसिंह राजपुरोहित व सिटी सीबीईओ रजनी शेखावत व प्रिंसिपल सरोज जाखड़ मौजूद थी।

स्कूल में अव्यवस्थाओं पर गंभीर चिंता जताई।

चेताया- सुधार नहीं तो कड़ा एक्शन

अंत में गोयल ने मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि निरीक्षण में चिह्नित समस्याओं का समाधान निश्चित समयावधि में नहीं किया गया तो यह आयोग द्वारा गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में लिया जाएगा। आयोग इस पर निरंतर निगरानी रखेगा और दोबारा निरीक्षण उपरांत कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेगा।

सीसीटीवी कैमरे और महिला सुरक्षा कर्मचारी नहीं देखकर हुए हैरान

- विद्यालय परिसर में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए न तो समुचित सीसीटीवी कैमरे स्थापित थे, न ही महिला सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त पाए गए। गोयल ने इसे अत्यंत गंभीर लापरवाही मानते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि स्कूल प्रशासन अविलंब सुरक्षा संबंधी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करें, अन्यथा यह मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में माना जाएगा।
- निरीक्षण के दौरान शिक्षक समयपालन, कक्षा शिक्षण पद्धति एवं उपस्थिति के संबंध में भी अनियमितता पाई गई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विद्यार्थियों की शिक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि विद्यालय में शैक्षणिक अनुशासन की साप्ताहिक निगरानी हो एवं लापरवाह शिक्षकों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जाए।

NAI DUNIYA, Bhopal, 8.7.2025
Page No. 4, Size:(12.69)cms X (15.01)cms.

देशभर के कैथ लैब में काम करने वाले डाक्टरों की परखी जाएगी योग्यता

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया ● भोपाल : मध्य प्रदेश के दमोह के मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलाजिस्ट द्वारा सर्जरी से सात रोगियों की मौत के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएसआरसी) ने देशभर के कैथ लैब में काम करने वाले डाक्टरों का सत्यापन कराने के लिए कहा है। आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार से भी यह जांच करने के लिए कहा है। साथ ही सभी राज्य सरकारों को आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन की जांच करने की अनुशंसा की है। सातों मृतकों के स्वजन को 10-10 लाख रुपये सहायता राशि और डाक्टर एवं अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध विभिन्न मामलों में अलग-अलग एफआइआर की अनुशंसा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राज्य सरकार से की है। आयोग ने आयकर आयुक्त और मप्र आर्थिक प्रकोष्ठ से आयुष्मान भारत योजना के दुरुपयोग के मामले में जांच कराने के लिए भी कहा है।

बता दें, डा. नरेन्द्र यादव उर्फ एन. जान कैम ने लंदन का कार्डियोलाजिस्ट बनकर कई लोगों के दिल की सर्जरी की थी, इनमें सात लोगों की मौत हो गई थी। इसी वर्ष मार्च में यह मामला सामने आया था। आयोग ने 28 मार्च, 2025 को शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। इसमें संबंधित राज्य अधिकारियों से रिपोर्ट मांगने के अलावा जांच भी की थी। आयोग को अपनी जांच में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में कई अनियमितताएं मिली थीं। इसी के अनुसार प्रदेश सरकार केंद्र को कई अनुशंसाएं की हैं। आयोग ने अपनी अनुशंसाओं पर चार सप्ताह में कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट देने के लिए कहा है। जांच में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों और सीएमएचओ, दमोह के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। इसमें मामले के अंतिम निपटारे तक मिशन अस्पताल का लाइसेंस रद करना भी सम्मिलित है।

- फर्जी कार्डियोलाजिस्ट के हाथों सात की मौत का मामला
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने की अनुशंसा

10-10 लाख रुपये मृतकों के स्वजन को सहायता देने को कहा

आयोग ने कहा

- पुलिस महानिदेशक, एफआइआर दर्ज करने और उसकी जांच में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करें। मिशन अस्पताल के आरोपितों और प्रबंधन के खिलाफ अलग मामले में एफआइआर दर्ज करें।
- गैर इरादतन हत्या, धोखाधड़ी, ठगी, जालसाजी, चिकित्सकीय लापरवाही, कदाचार, धन की हेराफेरी आदि से संबंधित आरोप में एफआइआर दर्ज की जाए। आपराधिक गिरोह को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिकायतकर्ताओं को व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014 के प्रविधानों के अनुसार सुरक्षा दें।
- अस्पताल ने बीमा कराया था या नहीं? यदि हां, तो क्या मृतक पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारियों को बीमा राशि वितरित की गई?
- क्या सर्जरी करने, रोगियों की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में विवरण, संभावित जोखिम और लाभ, किसी भी उपचार विकल्प के बारे में कोई जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), दमोह के साथ साझा की गई थी?

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

NAI DUNIYA, Gwalior, 8.7.2025
Page No. 8, Size:(12.69)cms X (15.01)cms.

देशभर के कैथ लैब में काम करने वाले डाक्टरों की परखी जाएगी योग्यता

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया ● भोपाल : मध्य प्रदेश के दमोह के मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलाजिस्ट द्वारा सर्जरी से सात रोगियों की मौत के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देशभर के कैथ लैब में काम करने वाले डाक्टरों का सत्यापन कराने के लिए कहा है। आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार से भी यह जांच करने के लिए कहा है। साथ ही सभी राज्य सरकारों को आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन की जांच करने की अनुशंसा की है। सातों मृतकों के स्वजन को 10-10 लाख रुपये सहायता राशि और डाक्टर एवं अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध विभिन्न मामलों में अलग-अलग एफआइआर की अनुशंसा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राज्य सरकार से की है। आयोग ने आयकर आयुक्त और मप्र आर्थिक प्रकोष्ठ से आयुष्मान भारत योजना के दुरुपयोग के मामले में जांच कराने के लिए भी कहा है।

बता दें, डा. नरेन्द्र यादव उर्फ एन. जान कैम ने लंदन का कार्डियोलाजिस्ट बनकर कई लोगों के दिल की सर्जरी की थी, इनमें सात

- फर्जी कार्डियोलाजिस्ट के हाथों सात की मौत का मामला
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने की अनुशंसा

10-10 लाख रुपये मृतकों के स्वजन को सहायता देने को कहा

लोगों की मौत हो गई थी। इसी वर्ष मार्च में यह मामला सामने आया था। आयोग ने 28 मार्च, 2025 को शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। इसमें संबंधित राज्य अधिकारियों से रिपोर्ट मांगने के अलावा जांच भी की थी। आयोग को अपनी जांच में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में कई अनियमितताएं मिली थीं। इसी के अनुसार प्रदेश सरकार केंद्र को कई अनुशंसाएं की हैं। आयोग ने अपनी अनुशंसाओं पर चार सप्ताह में कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट देने के लिए कहा है। जांच में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों और सीएमएचओ, दमोह के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। इसमें मामले के अंतिम निपटारे तक मिशन अस्पताल का लाइसेंस रद करना भी सम्मिलित है।

आयोग ने कहा

- पुलिस महानिदेशक, एफआइआर दर्ज करने और उसकी जांच में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करें। मिशन अस्पताल के आरोपितों और प्रबंधन के खिलाफ अलग मामले में एफआइआर दर्ज करें।
- गैर इरादतन हत्या, धोखाधड़ी, ठगी, जालसाजी, चिकित्सकीय लापरवाही, कदाचार, धन की हेराफेरी आदि से संबंधित आरोप में एफआइआर दर्ज की जाए। आपराधिक गिरोह को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिकायतकर्ताओं को व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014 के प्रविधानों के अनुसार सुरक्षा दें।
- अस्पताल ने बीमा कराया था या नहीं? यदि हां, तो क्या मृतक पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारियों को बीमा राशि वितरित की गई?
- क्या सर्जरी करने, रोगियों की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में विवरण, संभावित जोखिम और लाभ, किसी भी उपचार विकल्प के बारे में कोई जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), दमोह के साथ साझा की गई थी?

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

NAI DUNIYA, Indore, 8.7.2025
Page No. 7, Size:(10.41)cms X (11.87)cms.

देशभर के कैथ लैब में काम करने वाले डाक्टरों की परखी जाएगी योग्यता

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया ● भोपाल : मध्य प्रदेश के दमोह के मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलाजिस्ट द्वारा सर्जरी से सात रोगियों की मौत के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएसआरसी) ने देशभर के कैथ लैब में काम करने वाले डाक्टरों का सत्यापन कराने के लिए कहा है। आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार से भी यह जांच करने के लिए कहा है। साथ ही सभी राज्य सरकारों को आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन की जांच करने की अनुशंसा की है। सातों मृतकों के स्वजन को 10-10 लाख रुपये सहायता राशि और डाक्टर एवं अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध विभिन्न मामलों में अलग-अलग एफआइआर की अनुशंसा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राज्य सरकार से की है। आयोग ने आयकर आयुक्त और मप्र आर्थिक प्रकोष्ठ से आयुष्मान भारत योजना के दुरुपयोग के मामले में जांच कराने के लिए भी कहा है।

बता दें, डा. नरेन्द्र यादव उर्फ एन. जान कैम ने लंदन का कार्डियोलाजिस्ट बनकर कई लोगों के दिल की सर्जरी की थी, इनमें सात लोगों की मौत हो गई थी। इसी वर्ष मार्च में यह मामला सामने आया था। आयोग ने 28 मार्च, 2025 को शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। इसमें संबंधित राज्य अधिकारियों से रिपोर्ट मांगने के अलावा जांच भी की थी। आयोग को अपनी जांच में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में कई अनियमितताएं मिली थीं। इसी के अनुसार प्रदेश सरकार केंद्र को कई अनुशंसाएं की हैं। आयोग ने अपनी अनुशंसाओं पर चार सप्ताह में कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट देने के लिए कहा है। जांच में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों और सीएमएचओ, दमोह के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। इसमें मामले के अंतिम निपटारे तक मिशन अस्पताल का लाइसेंस रद करना भी सम्मिलित है।

- फर्जी कार्डियोलाजिस्ट के हाथों सात की मौत का मामला
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने की अनुशंसा

10-10 लाख रुपये मृतकों के स्वजन को सहायता देने को कहा

आयोग ने कहा

- पुलिस महानिदेशक, एफआइआर दर्ज करने और उसकी जांच में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करें। मिशन अस्पताल के आरोपितों और प्रबंधन के खिलाफ अलग मामले में एफआइआर दर्ज करें।
- गैर इरादतन हत्या, धोखाधड़ी, ठगी, जालसाजी, चिकित्सकीय लापरवाही, कदाचार, धन की हेराफेरी आदि से संबंधित आरोप में एफआइआर दर्ज की जाए। आपराधिक गिरोह को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिकायतकर्ताओं को व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014 के प्रविधानों के अनुसार सुरक्षा दें।
- अस्पताल ने बीमा कराया था या नहीं? यदि हां, तो क्या मृतक पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारियों को बीमा राशि वितरित की गई?
- क्या सर्जरी करने, रोगियों की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में विवरण, संभावित जोखिम और लाभ, किसी भी उपचार विकल्प के बारे में कोई जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), दमोह के साथ साझा की गई थी?